ऊर्जा संवाद

विशेष अकं : कोविड 19 केंद्रित

सरकार प्रस्तावित विद्युत अधिनियम २०२० में विवादस्पद बदलावों की कोशिश

टैरिफ की दर बढ़ेगी, जिसे फिर जबरन उपभोगताओं से वसूला जायेगा यह विधेयक में एक असफल सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) मॉडल का प्रस्ताव विवादस्पद विद्युत(संशोधन) विधेयक, 2020 की निंदा करते हुए संयुक्त बयान कड़े संघर्ष के बाद मिले मजदूरों के अधिकारों को किया जा रहा कमजोर पंचायत और नगरपालिका की भी इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिये अपने सारे जोखिम और नुकसान को वो जनता पर लाद देगा बड़े बांधों ने नदियों को बर्बाद किया है, और यहाँ तक की उनको सुखा भी दिया सरकार को इस विधेयक पर पुनरूविचार करना चाहिये

जिस दौरान देश और पूरा विश्व कोविड–19 से लड़ने के लिये अनियोजित तरीके से लागू किये गये लॉकडाउन से जूझ रहा है। उसी दौरान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनके कैबिनेट मंत्री कानून और नीतियों में गंभीर ढांचागत बदलावों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका एक अपरिवर्तनीय प्रभाव मौलिक स्वतंत्रताओं, श्रम, अर्थव्यवस्था, लोगों के जीवन एवं आजीविका, पर्यावरण और उर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा।

यह सरकार अध्यादेशों के जरिये नये श्रमिक संहिता (लेबर कोड) को भी लेकर आयी, जिससे कड़े संघर्ष के बाद हासिल किये गये मजदूरों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा पर्यावरणीय नियामक प्रक्रियाओं में बड़े स्तर पर और प्रतिगामी बदलाव किये गये हैं।

अब सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 को व्यापक ढंग से संशोधित करने के लिये उत्सुक है, जिससे निजी क्षेत्र को सिर्फ मुनाफे से मतलब रहेगा पर उसका कोई दायित्व नहीं होगा और अपने सारे जोखिम और नुकसान को वो जनता पर लाद देगा।

21 दिन दिये गये, खासकर जब लोगों के अभिव्यक्ति के साधन को निलंबित कर दिया गया

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 उन सुधारों को फिर से लाना चाहता है, जो सरकार 2014 और 2018 में विभिन्न हिस्सों से विरोध के चलते पारित कराने में असक्षम रही। इस नये विधेयक को 17 अप्रैल, 2020 को प्रस्तावित किया गया, जब पूरा देश लॉकडाउन में फंसा हुआ था।

इसके साथ ही, लोगों को इस पर टिपण्णी करने के लिये महज 21 दिन दिये गये, खासकर जब लोगों के अभिव्यक्ति के साधन को निलंबित कर दिया गया है। सिर्फ ट्रेड यूनियनों और जन आन्दोलनों द्वारा इस गैर–लोकतान्त्रिक तरीके से कानून बनाने की प्रक्रिया के खिलाफ किये गये व्यापक विरोध के चलते ही, विद्युत मंत्रालय को लोगों की टिपण्णी करने के अवधि को 5 जून, 2020 तक बढ़ाना पड़ा।

प्रमुख समीक्षाएँ हैं, जो 29 अप्रैल 2020 को आयोजित राष्ट्रीय विमर्श में उभर कर आई।

यह बिजली (संशोधन) विधेयक, 2020 की कुछ प्रमुख समीक्षाएँ हैं, जो 29 अप्रैल 2020 को आयोजित राष्ट्रीय विमर्श में उभर कर सामने आयी थी, जो लॉकडाउन की बाध्यता के चलते विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुई थी।

इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे, ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर फेडरेशनसे शैलेन्द्र दुबे और अशोक राव, मौसम से सौम्य दत्ता, एनवायरनमेंट सपोर्ट ग्रुप से लियो सल्दानाह, नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज की एसोसिएट प्रोफेसर तेजल कानितकर, सिटिजन, सिविक एंड कंज्यूमर एक्शन ग्रुप (सी.ए.जी.) से विष्णु राव, सेंटर फॉर फाइनेंसियल एकाउंटेबिलिटी से राजेश कुमार और सी.ऍफ.ए.व ई.एस.जी. से भार्गवी राव।

इस विमर्श का आयोजन सी.ए.जी., सी.ऍफ.ए., ई.एस.जी., मौसम, महंगी बिजली अभियान और जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एन.ए.पी.एम) ने मिलकर किया।

यह विधेयक काफी समस्या खड़ी कर सकता है, खासकर कानूनी विवादों में।

इस विमर्श में ए.आई.पी.ई.ऍफ के लिये बोलते हुए शैलेन्द्र दुबे ने कहा की विद्युत उत्पदान क्षेत्र, खासकर विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम), कई सालों से बढ़ते नॉन–परफोर्मिंग एसेट (एन.पी.ए.) का जोखिम का सामना कर रहे हैं, जिसे दूर करने के लिये सरकार ने कुछ भी नहीं किया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत शुरू किये गये निजीकरण उपायों के अनुक्रम को इस संशोधन के जरिये और तीव्र करने की कोशिश है। इससे ना सिर्फ पिछड़ें समुदायों के लिये बिजली इस्तेमाल करना और मुश्किल हो जायेगा, बल्कि यह एक लग्जरी वस्तु में बदल जायेगा। इसलिये, इस संशोधन को लाने का समय ना सिर्फ शंका पैदा करता है बल्कि यह भी प्रतीत होता है कि इस देश में लगे लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए सरकार विद्युत अधिनियम में विवादस्पद बदलाव लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी लोगों को ध्यान दिलाया की यह विधेयक आने वाले अधिनियम में नयी शब्दावली डालना चाहता है जो काफी समस्या खड़ी कर सकता है, खासकर कानूनी विवादों में।

तो आबादी के बड़े हिस्से के लिये शिकायत निवारण पहुँच से हो जायेगा बाहर।

ए.आई.पी.ई.ऍफ के अशोक राव ने बताया की कैसे इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य विद्युत अधिनियम को इस क्षेत्र के निवेशकों की मांग के और ज्यादा अनुकूल बनाना है और इसलिये इसका झुकाव उपभोगताओं के पक्ष में नहीं है। अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण लाने की कोशिश को संदेह की दृष्टि से देखना चाहिये क्योंकि धोखाधड़ी वाले अनुबंधों को कानूनी तौर पर लागू करने का यह एक जरिया बन सकता है।

उन्होनें गहरी चिंता जाहिर करते हुए ये भी व्यक्त किया की यह विधेयक विद्युत नियामक आयोगों को गैर–जरूरी बना सकता है, क्योंकि यह प्रस्ताव रखा गया है की ज्यादातर अधिकार विद्युत प्राधिकरण में निहित होंगे । अगर ऐसा संभव हो जाता है तो आबादी के बड़े हिस्से के लिये शिकायत निवारण पहुँच से बाहर हो जायेगा।

इस विधेयक के जरिये राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति को बढ़ावा देना भी चिंताजनक।

ई.एस.जी से लियो सल्दानाह ने बताया की यह विधेयक इस देश के लोकतांत्रिक और संघीय स्वरुप की अवहेलना करने के साथ इसको खतरे में डालता है। मौजूदा विद्युत अधिनियम यह आदेश देता है कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य एक साथ काम करें, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार उर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की योजना बनाता है, जिसमें विद्युत एक घटक है। यहाँ तक की वर्तमान अधिनियम में एक अलग अध्याय है। जिसके अनुसार पंचायत और नगरपालिका की भी इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिये, जो संवैधानिक शासन के तीसरे श्रेणी में आते हैं। तो यह विधेयक उर्जा सुरक्षा के निर्माण में शासन के तीसरे श्रेणी को एक अहम भागीदार के रूप में स्वीकारता है। पर यह विधेयक इस हिस्सेदारी को भंग करने की कोशिश में है जिससे केंद्र सरकार के पास और अधिकार एकत्र हो जाये। इस विधेयक के जरिये राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति को बढ़ावा देना भी चिंताजनक है क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर पनबिजली को अक्षय उर्जा के रूप में प्रोत्साहन देता है, जबकि यह आम जानकारी है की बड़े बांधों ने नदियों को बर्बाद किया है, और यहाँ तक की उनको सुखा भी दिया है।

इसे ऐसे समय में बढ़ावा दिया जा रहा है जब यह संशोधन इस भय को दूर नहीं करती है की खेती और सामूहिक भू–सम्पदा को बड़े स्तर पर सौर उर्जा, वायु और अक्षय उर्जा के अन्य स्रोतों (जिसमें बायोमास भी शामिल है) को बढ़ावा देने के लिये एकाधिकृत किया जा रहा है। इसके साथ ही इसके दीर्घकालीन सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

स्टेट यूटिलिटीज को अबुबंध की विफलता पर जुमार्ना भरना पड़ेगा और यह एक विवादस्पद मुद्दा।

सी.ए.जी के विष्णु राव ने विद्युत अनुबंध प्राधिकरण (ई.सी.ए.) और केंद्रीयध्राज्य विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.व एस.ई.आर.सी.) के परिचालन–सम्बन्धी पहलुओं का विश्लेषण किया। प्रस्तावित संशोधन, खासकर ई.सी.ए. के गठन के साथ ना सिर्फ केंद्र के अधिकारों को और एकत्र कर देगा, बल्कि एस.ई.आर.सी. को महज प्रशासन से जुड़े कामों का निरीक्षक बना देगा।

तमिल नाडू के एस.ई.आर.सी. का उदहारण देते हुए उन्होंने बताया की आयोग का ज्यादातर काम अनुबंधों से जुड़ा हुआ था, जबकि उसका बाकि काम टैरिफ विवादों और अन्य उपभोगता शिकायतों से जुड़ा हुआ था। एस.ई.आर.सी. से जुड़ा हुआ एक और समस्या खड़ी करने वाला प्रावधान है की अगर कुछ खास पदों के लिये रिक्त–पद होते हैं तो उनको एक साथ मिला दिया जायेगा, जिसके चलते निकटवर्ती एस.ई.आर.सी. का विलय हो जायेगा और उनको गठित करने का मुख्य उदेश्य ही समाप्त हो जायेगा।

प्रस्तावित संशोधन नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर.पी.ओ.) को बढ़ावा देता है जहाँ स्टेट यूटिलिटीज को अबुबंध की विफलता पर जुमार्ना भरना पड़ेगा और यह एक विवादस्पद मुद्दा है। उन्होंने यह तर्क रखा की क्रॉस–सब्सिडी हटाने से और लागत को प्रतिबिंबित करने वाला टैरिफ (कॉस्ट–रिफ्लेक्टिव टैरिफ) अपनाने से उपभोगताओं को काफी तकलीफ होगी।

विधेयक का पूरा ध्यान साफ तौर पर बिजली को एक सेवा के बजाय एक वस्तु बनाने पर है।

सौम्य दत्ता ने कहा कि इस संशोधन विधेयक का पूरा ध्यान साफ तौर पर बिजली को एक सेवा के बजाय एक वस्तु बनाने पर है। पर कुछ सवालों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है जैसे देश को उतनी बिजली पैदा करने की क्या जरुरत है, जितना इस विधेयक में प्रस्तावित है, समाज के कौन से वर्ग इससे प्रभावित होंगे अगर देश में इस तरह का उत्पादन होगा और इस तरह के उर्जा उत्पादन के स्रोतों का क्या स्वरुप होगा ? उन्होंने इस पर विशेष रूप से ध्यान दिलाया की ऐसा पहली बार हो रहा है की विद्युत विधेयक में पनबिजली को प्रस्तुत किया गया है। पनबिजली परियोजनाओं को अक्षय उर्जा की श्रेणी में शामिल किये जाने का विरोध किया जाना चाहिये और विशाल पनबिजली प्लांटों को निश्चित तौर पर अक्षय उर्जा की श्रेणी से हटाया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी जोड़ा की जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और निष्कर्षण उद्योग, जैसे कोयला खनन पर आधारित बिजली उत्पादन के चलते स्थानीय प्रदूषण के सन्दर्भ में उर्जा के स्रोतों के बड़े स्तर पर विद्युतीकरण पर भी सवाल उठाया जाने चाहिये।

निजीकरण किसी तरह के भी लागत को ना ही खत्म कर पायेगा और ना ही कम कर पायेगा।

तेजल कानितकर ने कहा की अगर देश पहले से ही अक्षय उर्जा में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की स्थिति में है तो फिर और ज्यादा उर्जा के उत्पादन और वितरण पर ध्यान केन्द्रित करने की क्या जरुरत है। उन्होंने कहा की यह नया विधेयक क्रॉस–सब्सिडी को खत्म कर देता है और यह एक तरह से उन राज्यों पर भार डालेगा जिनके पास पर्याप्त राशि नहीं है।

बिजली की आपूर्ति के निजीकरण के इस प्रस्ताव के बारे में तेजल कानितकर ने दो बड़े कमियों को चिन्हित किया। पहला, सरकार की यह पहचानने में विफलता की निजीकरण किसी तरह के भी लागत को ना ही खत्म कर पायेगा और ना ही कम कर पायेगा, और दूसरा, विशेष विक्रिय अधिकार प्राप्त करने वाली इकाई (फ्रेंचाइजी) को चुनने की प्रक्रिया मनमाने ढंग से सिर्फ ज्यादा मुनाफा देने वाले क्षेत्रों पर ही केन्द्रित होगी, क्योंकि कोई भी निजी वितरक सब्सिडी और कम आय के चलते ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध कराने में रूचि नहीं रखेगा।

निजीकरण के लिये एक प्रियोक्ति है, जिससे निजी मुनाफों को बढ़ावा दिया जा सके।

कुल मिलाकर, इस विचार विमर्श में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया की यह विधेयक में एक असफल सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) मॉडल का प्रस्ताव है, जिसे कभी विश्व बैंक ने बढ़ावा दिया था। पी.पी.पी. दरसल सार्वजनिक संसाधनों और सम्पतियों के निजीकरण के लिये एक प्रियोक्ति है, जिससे निजी मुनाफों को बढ़ावा दिया जा सके, खासकर उर्जा उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में।

इस विधेयक में एक बार फिर से बुरी तरीके से असफल हुए डिस्कॉम के निजीकरण को थोपा जा रहा है, जिसे वितरण क्षेत्र में फ्रैंचाइजी के प्रोत्साहन के जरिये किया जा रहा है। इसके साथ ही इस विधेयक में प्रस्ताव है की टैरिफ को प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार के बजाय, लागत के आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तय किया जायेगा।

यह ना सिर्फ राज्य विद्युत नियामक आयोग में निहित अधिकारों को छीन लेता है, पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का केन्द्रीकरण भी करता है जिससे यह लगभग तय है की टैरिफ का दर बढ़ेगा, जिसे फिर जबरन उपभोगताओं से वसूला जायेगा। यह प्रस्तावित विधेयक राज्य सरकारों के स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकारों का अतिक्रमण भी करता है और भारत के संघीय शासन पर एक सीधा खतरा है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी विधेयक को पूरे तौर पर रद्द किया जाना चाहिये। सारे वक्ताओं ने जोर डालते हुए सुझाव दिया की सरकार को इस विधेयक पर पुनरूविचार करना चाहिये।

बिजली वितरण कंपनियों को संकट की घड़ी में केंद्र कर्ज के बजाय अनुदान दे

विद्युत इंजीनियरों ने कहा केंद्र सरकार का पावर सेक्टर पैकेज निजी बिजली उत्पादन घरानों के लिए राज्यों की बिजली वितरण और उत्पादन कंपनियों को इस संकट की घड़ी में कर्ज नहीं अनुदान देने की मांग। आल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित पावर सेक्टर पैकेज को निजी बिजली उत्पादन घरानों के लिए राहत पैकेज बताते हुए मांग की है कि राज्यों की बिजली वितरण और उत्पादन कंपनियों को इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार कर्ज के बजाय अनुदान दे तभी बिजली कंपनियां इस संकट में कार्य कर सकेगी।

केंद्र सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को जो 90000 करोड़ रुपये का पैकेज देने का एलान किया है उसमें साफ लिखा है कि यह धनराशि निजी बिजली उत्पादन घरों को मास निजी पारेषण कंपनियों और केंद्रीय बिजली के उत्पादन घरों का बकाया अदा करने के लिए दी जा रही है और राज्यों को बिजली वितरण कंपनियां इसका कोई और उपयोग नहीं कर सकेगी पूर्णविराम इससे स्पष्ट है कि यह पैकेज निजी घरानों के लिए है ना कि राज्य के सरकारी बिजली कंपनियों के लिए। इतना ही नहीं तो राजनीति वितरण कंपनियां इस धनराशि का उपयोग राज्य के सरकारी बिजली उत्पादन घरों से खरीदी गई बिजली का भुगतान करने हेतु भी नहीं कर सकती लेकिन से राज्यों को सबसे सस्ती बिजली मिलती है।

कुल बकाया 94 हजार करोड़ रुपये हैं और केंद्र सरकार ने 90 हजार करोड़ रुपए दिए हैं तो और स्पष्ट हो जाता है कि राज्यों की बिजली कंपनियों के लिए इस पैकेज में कुछ नहीं है। केंद्र सरकार यह धनराशि राज्य सरकार द्वारा ग्यारंटी देने पर कर्ज के रूप में दे रही है और यह समझना मुश्किल नहीं है कि लॉक डाउन के चलते भारी नुकसान उठा रही राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां इस कर्ज को कैसे अदा करेगी। अतः यदि सचमुच केंद्र सरकार मदद करना चाहती है तो कर्ज के बजाय उसे अनुदान देना चाहिए।

केंद्र व राज्य के सरकारी विभागों पर बिजली वितरण कंपनियों का 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक से अधिक का राजस्व बकाया है अकेले मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों का बकाया 8,000 करोड बीएसए अधिक है। बीएसए अधिक है। अधिक है। यदि सरकार अपना बकाया ही दे दे दो राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को केंद्र सरकार से कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में निजी घरानों की चिंता के साथ सरकारों को अपने बिजली राजस्व के बकाए का भुगतान भी सुनिश्चित करना चाहिए अन्यथा 90 हजार करोड़ रुपये करोड़ रुपये रुपये के कर्ज के बोझ तले दबी वितरण कंपनियां कैसे और कब तक अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर सकेगी।

घोषित पैकेज में कहा गया है कि इस संकट के दौरान केंद्रीय उपक्रमों की बिजली उत्पादन कंपनियां राज्यों की वितरण कंपनियों को न खरीदी गई बिजली फिक्स चार्ज को नहीं लेगी जबकि इस मामले में निजी बिजली उत्पादन कंपनियों को ना खरीदी गई बिजली के फिक्स चार्ज लेने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार एक हिमालय में जो मापदंड से स्पष्ट हो जाता है कि यह घोषणा निजी घरानों के लिए मदद का तोहफा है जबकि राज्यों की सरकारी बिजली कंपनियों पर कर्ज और बिना बिजली खरीदी निजी घरानों को फिक्स चार्ज देने का आह्वान उठाना होगा।

ऑल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि कोविड–19 महामारी के संकट में राज्य की बिजली कम्पनियों पर डाले गए कर्ज को अनुदान में बदले जिससे आने वाली खरीफ की फसल और देश की 70 प्रति ात ग्रामीण जनता के हित में बिजली वितरण कंपनियां सुचारू रूप से कार्य कर सके।

बिजली का निजीकरण, किसानों के लिए अभिशाप, पहुँच से बाहर होगी बिजली

बिजली के निजीकरण बिल के विरोध में 1 जून को काला दिवस –***NCCOEEE***

किसान अर्थात देश की जीवन रेखा

1971 के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण ने भारत के किसानों की तकदीर बदल दी। पहले भारत को खाद्यान्न के मामले में अमेरिका के आगे हाँथ पसारने को मजबूर होना पड़ता था। ग्रामीण विद्युतीकरण के जरिये बिजली बोर्डों ने गांव गांव तक घर घर तक बिजली पहुंचाई जिसके परिणामस्वरूप अब किसानों को सिंचाई के लिए आसमान की ओर नहीं निहारना पड़ता। गांव गांव तक बिजली पहुँचने से हम खाद्यान के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हो गए अपितु खाद्यान निर्यात भी कर रहे हैं। आज जब सारी दुनिया कोविड – 19 महामारी के संक्रमण से कराह रही है तब भारत के गोदामों में 50 मिलियन टन चावल

और 27 मिलियन टन गेहूं भरा हुआ है। हमारे गोदाम लबालब भरे हैं और पूरे देश को खाना खिलाने में सक्षम हैं तो इसमें बिजली की बड़ी भूमिका है। केंद्र की सरकार इस संकट के दौर में भी जहाँ एक ओर बड़े कारपोरेट घरानों को मोटे कर्ज दे रही है वहीँ किसानों को उनके उत्पाद की लागत भी नहीं मिल पा रही है। बड़े कारपोरेट घरानों को दिए गए कर्ज एन पी ए के नाम पर माफ किये जा रहे हैं जबकि किसानों से पूरी वसूली की जाती है। बात बिजली की हो रही है तो बताते चले कि कारपोरेट के निजी क्षेत्र के बिजली घरों को बैंको द्वारा दिया गया छह लाख करोड़ रु डूब गया है जिसकी भरपाई के लिए आम उपभोक्ता की बिजली दरें बढाई जाती हैं।

निजीकरण के लिए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 का मसौदा इस महामारी के बीच 17 अप्रैल को जारी किया है और केंद्र सरकार इसे संसद के मानसून सत्र में जुलाई में पारित कराने पर तुली हुई है। यह बिल पारित हो जाने के बाद बिजली का नया कानून आ जायेगा जिसमे किसी भी उपभोक्ता यहां तक कि किसानों को भी बिजली न मुफ्त मिलेगी और न ही सस्ती मिलेगी। नए कानून के अनुसार बिजली दरों में मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और किसानों सहित सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की पूरी लागत देनी होगी।

इसे ऐसे समझिये कि अभी किसानों को मुफ्त बिजली मिलती है अथवा प्रति हार्स पावर के हिसाब से बहुत कम दरों पर बिजली मिलती है। देश में बिजली की औसत लागत रु 06.73 प्रति यूनिट है। बिजली के निजीकरण के बाद निजी कंपनी को एक्ट के अनुसार कम से कम 16 प्रति ात मुनाफा लेने का अधिकार होगा, कंपनी चाहे तो और अधिक मुनाफा भी ले सकती है। बिजली की औसत लागत रु 06.73 प्रति यूनिट पर कम से कम 16 प्रति ात मुनाफा जोड़ दें तो सब्सिडी समाप्त होने के बाद किसानों को रु 08 प्रति यूनिट से कम कीमत पर बिजली नहीं मिलेगी। एक किसान यदि साल भर में 8500 से 9000 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसे 72000 रु साल बिजली का बिल देना पडेगा जो 6000 रु प्रति माह आता है।बिजली की दरों में सब्सिडी समाप्त होने के बाद किसानों को बिजली का पूरा बिल देना होगा।

किसानो को झांसा देने के लिए सरकार यह कह रही है कि किसान पहले पूरा बिल भर दे फिर बाद में सरकार चाहे तो किसान के खाते में गैस सिलिण्डर की तरह बिजली की सब्सिडी की धनराशि उसके बैंक खाते में डाल सकती है। यहाँ यह समझने की बात है कि पहले तो गरीब किसान को 6000 रु प्रति माह जमा करना होगा और यह बिल न जमा करने पर बिजली का निजीकरण होने के बाद निजी क्षेत्र की बिजली कंपनी आज की सरकारी कंपनी की तरह कोई रियायत नहीं देगी बल्कि उसकी बिजली तुरंत काट देगी। दूसरी बात यह कि सरकार किसान के बैंक खाते में सब्सिडी की धनराशि डालेगी भी तो उसमे कई महीने लग सकते है ऐसी स्थिति में किसान क्या कई महीने बिजली का बिल अदा किये बिना बिजली कट जाने पर अपनी फसल बचा पायेगा ?

निजीकरण से बेतहाशा बढ़ेंगी बिजली की दरें

देश में सबसे पहले 120 साल पहले मुम्बई में बिजली का निजीकरण हुआ था। मुम्बई में आज भी बिजली आपूर्ति निजी कंपनी अदानी और टाटा के पास है। मुम्बई में आम उपभोक्ता के लिए घरेलू बिजली की दरें 10 से 12 रु प्रति यूनिट है। निजीकरण के बाद इन्ही या इन जैसी निजी कम्पनियाँ को और शहरों और गांवों की बिजली आपूर्ति मिल जाएगी। अभी सरकारी कम्पनियाँ बड़े उद्योगों और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लागत से थोड़े अधिक दाम पर बिजली दे कर जो मुनाफा कमाती हैं उससे ही किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दे रही हैं। सरकारी कम्पनियाँ जहाँ जनकल्याण के लिए काम कर रही हैं वहीं निजी कम्पनियाँ मुनाफे के लिए काम करती हैं। अतः यह प्रचार भ्रामक है कि निजीकरण से बिजली सस्ती होगी। मुम्बई इसका ज्वलंत उदाहरण है। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में पहले ही कई निजी कम्पनियाँ काम कर रही हैं और मुनाफा लेकर सरकारी बिजली उत्पादन कंपनियों की तुलना में कहीं अधिक महंगी दरों पर बिजली बेंच रही हैं। नए बिल में यह प्राविधान भी किया जा रहा है कि निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनियों को लागत के पूरे पैसे का भुगतान पहले सरकारी कंपनी करे तभी वह आम लोगों को देने के लिए बिजली ले पाएगी। यह भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार एक नई अथॉरिटी बनाएगी।

इन सबके बाद फिर यह प्रचार करना कि निजीकरण के बाद बिजली सस्ती हो जाएगी पूरी तरह भ्रामक है और आम जनता से धोखा है। बिजली का निजीकरण देश के लिए तो घातक है ही निजीकरण से सबसे बड़ी चोट किसानों पर पड़ने वाली है। निजीकरण से बिजली की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी और बिजली किसान की पहुँच से दूर होती जाएगी। यह किसानों के लिए बिजली के मौलिक अधिकार का हनन तो है ही साथ ही किसानों के आत्मसम्मान के साथ क्रूर मजाक भी है।

तो आइये अपने आर्थिक आधार और स्वाभिमान की इस लड़ाई में सहभागी बने – देश के 15 लाख बिजली कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी संघर्ष में साथ दें। 1 जून काला दिवस – देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर निजीकरण के बिल के विरोध में पूरे दिन काली पट्टी बांधेंगे और विरोध सभा करेंगे। किसान भाइयों और आम उपभोक्ताओं से इस विरोध में सम्मिलित होकर सहभागिता करने की विनम्र अपील ।

– नेशनल कोऑर्डिनेशन कमीटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्प्लॉयीज एन्ड इंजीनियर्स द्वारा जनहित में जारी

निजीकरण किसानों और आम घरेलू उपभोक्ताओं के साथ धोखा

कोविड 19 महामारी की आड़ में केंद्र सरकार द्वारा किये गए बिजली वितरण के निजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली का वायदा आपने आप खारिज हो जाता है। निजीकरण के बाद बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि होगी। जिसका सीधा बोझ किसानों व आम घरेलू उपभोक्ताओं पडेगॉ।

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विद्युत् वितरण के निजीकरण की घोषणा में कहा गया है कि नई टैरिफ नीति में सब्सिडी व क्रास सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी और किसी को भी लगत से कम मूल्य पर बिजली नहीं दी जाएगी। अभी किसानों, गरीबी रेखा के नीचे और 500 यूनिट प्रति माह बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है जिसके चलते इन उपभोक्ताओं को लागत से कम मूल्य पर बिजली मिल रही है। अब नई नीति और निजीकरण के बाद सब्सिडी समाप्त होने से स्वाभाविक तौर पर इन उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी होगी। बिजली की लागत का राष्ट्रीय औसत रु.06. 73 प्रति यूनिट है और निजी कंपनी द्वारा एक्ट के अनुसार कम से कम 16: मुनाफा लेने के बाद रु.8 प्रति यूनिट से कम दर पर बिजली किसी को नहीं मिलेगी। इस प्रकार एक किसान को लगभग 6000 रु. प्रति माह और घरेलू उपभोक्ताओं को 6000 से 8000 रु. प्रति माह तक बिजली बिल देना होगा। निजी वितरण कंपनियों को कोई घाटा न हो इसीलिये सब्सिडी समाप्त कर प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना लाई जा रही है। अभी सरकारी कंपनी घाटा उठाकर किसानों और उपभोक्ताओं को बिजली देती है। सब्सिडी समाप्त होने से किसानों और आम लोगों को भारी नुकसान होगा जबकि क्रास सब्सिडी समाप्त होने से उद्योगों और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लाभ होगा।

इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल 2020 निजीकरण की दिशा में तेज प्रयास

कोविड–19 महामारी के जारी प्रकोप के बीच मोदी सरकार ने विगत 17 अप्रैल 2020 को इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल 2020 का ड्राफ्ट पब्लिक ओपिनियन के लिए पेश किया है। पावर सेक्टर में जारी सुधार की प्रक्रिया को गति प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य बताया जा रहा है।

इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल 2020 के प्रमुख बिंदु

इस बिल में कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं टैरिफ दर का युक्तिसंगत, उर्जा नवीनीकरण पर जोर, बिजली वितरण क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन सब–लाइसेंस और फ्रेंचाइजी, बिजली का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सब्सिडी और क्रास सब्सिडी को खत्म करने जैसे हैं।

अगर इसे सामान्य भाषा में कहें तो इसका मतलब यह होगा कि यह बिल डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनी) के निजीकरण के लिए प्रक्रिया आसान करेगा। अभी जो डिस्कॉम में पब्लिक सेक्टर का एकाधिकार है वह खत्म हो जायेगा और कारपोरेट सेक्टर अहम हो जायेगा।

डिस्कॉम के निजीकरण की प्रक्रिया पीपीपी मॉडल के तहत अमल में पहले से ही लायी जा रही है, वह तेज होगी। लिहाजा बिना किसी खास निवेश के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कारपोरेट सेक्टर के मुनाफाखोरी व लूट के लिए मुफ्त में देने की योजना है। आगरा के टोरेंट पावर के बिजली वितरण के निजीकरण के प्रयोग से न सिर्फ सरकार को भारी घाटा हुआ है बल्कि उपभोक्ताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सीएजी की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि किस तरह टोरेंट पावर ने घोटाला को अंजाम दिया है। इसके अलावा सर्वाधिक असर टैरिफ युक्तिसंगत से सब्सिडी और क्रास सब्सिडी खत्म होने से घरेलू व कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में भारी ईजाफा होगा।

दरअसल इससे इंडस्ट्री को फायदा होगा और सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को एक समान दर से बिजली की आपूर्ति होगी। निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने और आम उपभोक्ताओं पर भार डालने के मकसद से लाये जा रहे इस बिजली संशोधन अधिनियम का पूरे देश के बिजली कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

दरअसल 1991 से ही उदार अर्थनीति को लागू करने के बाद से ही पावर सेक्टर में भी इसी के अनुरूप सुधार लाने की कवायद तेज हो गई थी और पावर सेक्टर में आमूल चूल बदलाव लाना कारपोरेट के पैरवीकारों के लिए जरूरी था। इसी उद्देश्य से इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 व इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट 1948 को बदलाव करना जरूरी हो गया था।

बेशक उदार अर्थनीति के समर्थकों द्वारा इन पुराने कानूनों में कोई जनपक्षीय बदलाव नहीं किया जाना था बल्कि भारत में पावर सेक्टर एक उभरता हुआ और मुनाफा कमाने के लिए मुफीद सेक्टर था। इसी के मद्देनजर इलेक्ट्रिसिटी नियंत्रिकरण आयोग एक्ट 1998 और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को बनाया गया। स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को भंग कर निगमीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया इन कानूनों के बनने के बाद से तेज हुई।

इन कानूनों और नियम उपनियम बना कर निजी क्षेत्र को सहभागिता बढ़ाने के नाम पर भारी रियायतें दी गई। उन्हें बैंकों द्वारा सस्ते दर से कर्ज से लेकर सस्ती जमीन आदि मुहैया करायी गई। राज्यों द्वारा इनसे बिजली खरीदने के इस तरह से एग्रीमेंट किये गए कि कारपोरेट सेक्टर की बिजली कंपनियों को भारी मुनाफा पहुंचाया गया, जिसका दुष्परिणाम पब्लिक सेक्टर के पावर भारी सेक्टर भारी

घाटे में चले गए। यह समझने के लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त है, अनपरा के पब्लिक सेक्टर की। बिजली परियोजना से डेढ़ रूपये की लागत से उत्पादित होने वाली बिजली को थर्मल बैकिंग के द्वारा बिजली का उत्पादन रोक कर उसी वक्त रिलायंस और बजाज की बिजली कंपनियों से 7–18 रू तक में बिजली खरीद की गई है।

इस समय भारत दुनिया में चीन और अमरीका के बाद तीसरे स्थान पर बिजली उत्पादन में है। आज कुल उत्पादन क्षमता करीब 3 लाख सत्तर हजार मेगावाट है और करीब एक लाख सत्तर हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है।

अभी तक कारपोरेट सेक्टर में करीब 40 प्रति ात बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। कारपोरेट द्वारा पावर सेक्टर में नियंत्रण स्थापित करने के बाद इसमें मुनाफा की गुंजाइश अभी भी काफी ज्यादा है। इसीलिए पावर सेक्टर में कारपोरेट जगत इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है। लेकिन कारपोरेट की ज्यादा दिलचस्पी पावर सेक्टर में उत्पादन में नया निवेश के बजाय मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने अधीन करना है, इसी के लिए जो नियम कानून बनाये जा रहे हैं उन्हें सुधार का नाम दिया जा रहा है।

यह कथित सुधार और कुछ नहीं बल्कि पावर सेक्टर को पूरी तरह से कारपोरेट के हवाले करने की नीति है। लेकिन पावर सेक्टर की निजीकरण की प्रक्रिया का शुरू से ही बिजली कर्मचारियों द्वारा प्रबल विरोध के बावजूद ट्रेड यूनियन आंदोलन को अर्थवादी दायरे में बनाये रखने के चलते कभी भी निर्णायक दबाव नहीं बनाया जा सका।

कर्मचारी आंदोलन की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मोदी सरकार महामारी के इस दौर में बिजली से लेकर डिफेंस, कोयला, एअरलाइंस आदि में निजीकरण की प्रक्रिया तेज कर रही है। जबकि महामारी के इस संकट में सरकारी स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, सफाई आदि क्षेत्रों में पब्लिक सेक्टर ने अपनी भूमिका अदा की है और इसके कर्मचारी जान जोखिम में डालकर महामारी से निपटने में सीमित संसाधनों के बावजूद लगे हुए हैं वहीं इस दौर में भी कारपोरेट और निजी क्षेत्र मुनाफाखोरी व लूट की जुगत में है।

बावजूद इसके इन बुनियादी और महत्वपूर्ण सेक्टर में निजीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। इसलिए आज जरूरत है कि मजदूर और कर्मचारी जो चौतरफा हमले हो रहे हैं चाहे निजीकरण का हो और चाहे श्रम कानूनों को निष्प्रभावी बनाने की कार्यवाही हो, इसके खिलाफ राजनीतिक राजनीतिक प्रतिवाद में मजदूरों और कर्मचारियों को उतरना होगा, अन्यथा इन हमलों का मुकाबला करना मुमकिन नहीं होगा ।

राजेश सचान, युवा मंच

कारपोरेट के लिए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रकिया में हो रहा है बदलाव ?

वर्तमान लाक डाउन में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक बार फिर 12 मार्च 2020 को पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रकिया 2006 में संशोधन हेतु ई.आई.ए 2020 प्रस्तावित किया है।जिसमें पर्यावरणीय मंजूरी के पहले ही परियोजना निर्माण कार्य करने की छूट, कई परियोजनाओं को पर्यावरण जन सुनवाई से मुक्ति, खदान परियोजनाओं की मंजूरी की वैलिडीटी अवधी में बढोतरी, मंजूरी के बाद नियंत्रण और निगरानी के नियमों में भारी ढील आदि जैसे बदलाव प्रस्तावित है।मंत्रालय ने साफ साफ यह कह दिया है कि व्यवसायी और कम्पनियों के लिए व्यापार सुगम करना इस प्रस्ताव का उद्देश्य है।जबकि देश की पर्यावरणीय हालत पहले ही खास्ता है– वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण से शहर और गांव त्रस्त हैऔर प्राकृतिक संपदा निरंतर नष्ट हो रही है।पर्यावरणीय और जलवायु संकट के चलते आपदाएं बढ रही है और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदाय अपनी आजीविका और जीने के स्रोत खोते जा रहे हैं।इनमें देश के किसान, मछुआरे, वन आधारित आदिवासी समुदाय, पशुपालक, दलित और कई अन्य समुदाय शामिल हैं जो विस्थापन और प्रदूषण की मार झेल रहे हैं।ऐसे में मंत्रालय को पर्यावरण सुरक्षित करने और प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के लिए जनता की भागीदारी मजबूत करते हुए प्रकिया और नियम लागू करना चाहिए ना कि पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए संसाधनों को कौड़ियों के दाम पर बेचना।इन सभी परिस्थितियों को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाता है। परन्तु इस नई परिस्थिति में न्यायाधिकरण के अधिकार को सीमित करने की कोशिश किया जाएगा।मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल ने 1984 में युनियन कार्बाइड की त्रासदी झेल चुका और अभी हाल में विजाग आंध्र प्रदेश की घटना से सबक लेने की जरुरत है।

पर्यावरण आंकलन अधिसूचना को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अन्तर्गत सबसे पहले 1994 में जारी किया गया था।इसके पहले यह कार्य महज प्रशासनिक जरूरत होता था।लेकिन 27 जनवरी 1994 में पर्यावरण प्रभाव नोटीफिकेशन के जरिये एक विस्तृत प्रकिया शुरू किया गया।इस नोटीफिकेशन के अन्तर्गत 29 औधोगिक एवं विकासात्मक परियोजनाओं (बाद में संशोधन कर इस संख्या को 32 किया गया) को शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया।जिसमें बङे बांध, माइंस, एयरपोर्ट, हाइवे,समुद्र तट पर तेल एवं गैस उत्पादन, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कीटनाशक उधोग, रसायनिक खाद, धातु उधोग, थर्मल पावर प्लांट, परमाणु उर्जा परियोजना आदि शामिल है।परियोजनाओं को एक विस्तृत प्रकिया से गुजरना आवश्यक बनाया गया।जिसके तहत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट (ई.आई.ए) तैयार कर सार्वजनिक करना एवं जन सुनवाई महत्वपूर्ण माना गया।ई.आई.ए रिपोर्ट अंग्रेजी तथा प्रादेशिक और स्थानिय भाषा में जिला मजिस्ट्रेट, पंचायत व जिला परिषद, जिला उधोग कार्यालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधितक्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्धता सुनिश्चित किया गया।इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का केवल सही सही आंकलन ही न हो बल्कि इस आंकलन प्रकिया में प्रभावित समुदायों का मत भी लिया जाए और उसी के आधार पर परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देना या नहीं देने का फैसला लिया जाए।इस अधिसूचना के अन्तर्गत ही प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरणीय जन सुनवाई जैसा महत्वपूर्ण प्रावधान रखा गया।किसी भी परियोजना को मंजूरी देने से पहले उसके प्रभावों को पैनी नजर से आंकने और जांचने के रास्ते भी खुले और निर्णय प्रकिया में जनता की भूमिका भी बढी।इस प्रकिया में परियोजना चार चरणों से गुजरती है।जब परियोजना निर्माता आवेदन करता है, उसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रतीक्षारत अवस्था कहते हैं।इसके बाद एक विशेषज्ञ आकलन समिति द्वारा परियोजना की छानबीन की जाती है।छानबीन के अन्तर्गत पर्यावरण प्रभाव आंकलन हेतु बिंदु (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) तैयार किए जाते हैं।इसी के साथ परियोजना टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्वीकृत अवस्था में आ जाती है।पर्यावरण प्रभाव आंकलन का मसौदा तैयार होने के बाद जन सुनवाई आयोजित की जाती है और उसके बाद पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दिया जाता है।ये सारे चरण पुरा होने के बाद रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती है।यह अवस्था पर्यावरण मंजूरी प्रतीक्षारत अवस्था है।इसके उपरांत विशेषज्ञ आकलन समिति द्वारा सबंधित दस्तावेजों की छानबीन की जाती है और परियोजना को स्वीकृत या ख़ारिज की करने की सिफारिश करती है।एक बार पर्यावरण मंजूरी मिल जाने के बाद परियोजना पर्यावरण मंजूरी अवस्था में आ जाती है।

पूंजी एवं कम्पनीयों के सामने झुकने वाली सरकार की मंशा विपरित होने के कारण 1994 से 2006 तक 12 सालों में 13 बार संशोधन किया गया।14 सितम्बर 2006 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1994 के नोटीफिकेशन को बदल कर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रकिया 2006 बनाया गया।ये नोटीफिकेशन भी गोविंद राजन के नेतृत्व वाली समिति की सिफारिशें और मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक की मदद से चलाए गए ष पर्यावरण प्रबंधन दक्षता विकास कार्यक्रम ष के आधार पर लाया गया।जिसमें कम्पनियों द्वारा परियोजना को स्वीकृति देने की प्रकिया को शीघ्र व सरल और सरकारी नियंत्रण को सरल करने जैसे सुझाव को शामिल कर लिया गया।जबकि स्वीकृति प्रकिया में शर्तो की मानिटरिंग तथा शर्तो की कार्य योजना महत्वपूर्ण है। लेकिन 2006 का नोटीफिकेशन अधिक जोर नहीं देता है।केवल इतना ही कहा गया है कि छरू मासिक प्रतिवेदन देना होगा।प्रकिया कमजोर करने के बावजूद लोग आज भी उस जन सुनवाई में विरोध करने जाते हैं।नर्मदा घाटी के बरगी बांध से विस्थापित गांव चुटका में प्रस्तावित परमाणु उर्जा परियोजना की जन सुनवाई स्थानिय समुदाय के विरोध के कारण दो बार अंतिम वक्त पर रद्द करना पङा।तीसरी बार भाङी पुलिस बल के साये में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। परन्तु स्थानिय समुदाय जन सुनवाई स्थल पर हजारों की संख्या में विरोध करने जुट गये।इसके पहले लोगों ने ई.आई.ए रिपोर्ट के विभिन्न बिन्दुओं पर लिखित शिकायत दर्ज कराया था। सरकार तथा कम्पनियों की यह क्रूर चाल के विरोध में लोगों की न्यायपूर्ण एवं लोकतांत्रिक संघर्ष को गोलबंद करने की जरुरत है। यह प्रस्तावित संशोधन इस जनपक्षीय अधिसूचना के लिए अंतिम कील साबित होने वाला है।

राज कुमार सिन्हा

बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ

संपादक : राजेश कुमार – 8130030411
6/6 जगंपुरा बी, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110014
फोन : 011–43562925

निजि वितरण हेतु